पत्रांकः /आयु0राज्य0कर0/आई0टी0–अनु0/पत्रा0 233–परिपत्र/2018–19/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
दिनांकः देहरादूनः: 21 अप्रैल, 2018

:: परिपत्र ::

–:: ऑनलाईन फार्म–सी में पुनः संशोधन के सम्बन्ध में::–

आप सभी अवगत है कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों/ करदाताओं को ऑनलाईन फार्म–सी जनरेट करने की सुविधा प्रदान की गई थी। फार्म–सी जनरेट करने के पश्चात कुछ त्रुटियाँ प्रकाश में आने पर करदाताओं को कर निर्धारण अधिकारी के माध्यम से ऑनलाईन फार्म–सी को एक बार संशोधन करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी, जिसकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में परिपत्र जारी किया गया था।

कुछ करदाताओं द्वारा एक बार Form-C संशोधन के उपरान्त भी पुनः संशोधन की आवश्यकता बताई जा रही है और इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से अथवा स्वयं मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। अतः करदाताओं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन रूप से जनरेट किये गये Form-C में पुनः संशोधन के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1– करदाताओं द्वारा पुनः संशोधन के लिए संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखित अनुरोध किया जाएगा।

2– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित संशोधन के कारण की जांच दाखिल Returns, मूल बिलों व अन्य प्रपत्रों से की जाएगी तथा करदाता के अनुरोध से संतुष्ट होने पर संशोधन के कारणों का उल्लेख करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित ज्वाइन्ट कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय के IT अनुभाग को अनुरोध किया जाएगा।

3– IT अनुभाग द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्रों का संकलन कर नोडल अधिकारी (आई0टी0) को प्रेषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा संदर्भित फार्म–सी NIC के माध्यम से पुनः संशोधन हेतु Open कराया जाएगा, जिसकी सूचना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को पत्र या ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने Log-in Account में जाकर व्यापारी के अनुरोध के अनुसार फार्म–सी को पुनः संशोधन किया जाएगा।

4– कर निर्धारण कार्यालय एवं नोडल अधिकारी (आई0टी0) के स्तर पर Form-C पुनः संशोधन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों को इन्द्राज करने हेतु एक पंजिका रखी जायेगी, जिसमें संशोधन के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(सौजन्या)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 325 /दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

2– अपर आयुक्त, राज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) राज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/हल्द्वानी/रूद्रपुर सम्भाग, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4– नोडल अधिकारी (आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।